न्यायालय–अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली, जिला–उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अभिलाषा शर्मा,
आर0जे0एस0

नियमित आपराधिक प्रकरण सं. 181/2014

राजस्थान राज्य, –– अभियोगी

:: बनाम ::

1– हीरसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत उम्र 32 साल
2– श्रीमती रसालकुंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत उम्र 60 साल
3– श्रीमती ललिता कुंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत उम्र 25 साल सभी निवासियान वाडा वावडी, थाना घासा, जिला उदयपुर

–– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा–341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
1– सहायक लोक अभियोजक–प्रथम–राज्य
2– श्री सुखदेवसिंह उज्जवल–अधिवक्ता–अभियुक्तगण

:: निर्णय ::

दिनांकः–22.2.2017

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11.3.14 को प्रार्थी हिम्मतसिंह ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक को 8 बजे शाम को उसकी पत्नी राजकुंवर घर पर ही गोद वाली बेटी से बात कर रही थी तभी उसकी मां रसालकुंवर गाली–गलौंच करने लगी इतने में उसका छोटा भाई हीरसिंह आया और उसकी पत्नी के आडे फिर रोक मुक्के की उसकी पत्नी के नाक पर मारी, इतने में मौके पर पहुंच उसने बीच बचाव किया इतने में उसकी मां रसालकुंवर व हीरसिंह की पत्नी ललिता कुंवर भी आ गई जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ पत्थर, मुक्कों से मारपीट की जिससे उसकी

पत्नी के जगह–जगह चोटें आई, किसने कहां मारी उसे पता नहीं है, वह नीचे गिर गई थी। यह मारपीट उसके द्वारा बाथरूम में स्नान करने से की है आदि।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना घासा पर प्रकरण संख्या–29/14 अपराध धारा–341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुलजिमान हीरसिंह, श्रीमती रसालकुंवर, श्रीमती ललिताकुंवर के विरूद्ध अपराध धारा–341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र दिनांक 25.4.14 को न्यायालय में पेश किया गया तथा उक्त दिवस को ही मुलजिमान के विरूद्ध अपराध धारा–341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया।

आरोप पत्र पेश होने की दिनांक 25.4.14 को अभियुक्तगण को अपराध धारा–341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीड–1 हिम्मतसिंह, पीड–2 जयसिंह, पीड–3 जालमसिंह, पीड–4 किशोरनाथ, पीड–5 गोवर्धनसिंह, पीड–6 श्रीमती श्रृंगारबाई, पीड–7 श्रीमती राजकुंवर, पीड–8 भंवरसिंह, पीड–9 डॉ0 नरेन्द्र जोशी के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट प्रपी–1, चाक एफआईआर प्रपी–2, चोट प्रतिवेदन आहत हिम्मतसिंह प्रपी–3, नक्शा मौका प्रपी–4, पुलिस बयान गवाह श्रृंगार बाई प्रपी–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

दिनांक 8.2.2017 को मुलजिमान का परीक्षण अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो मुलजिमान ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं प्रतिरक्षा में स्वयं अभियुक्त हीरसिंह को डीड–1 के रूप में परीक्षित करवाया गया।।

बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मामले में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1– आया अभियुक्तगण ने दिनांक 11.3.14 को 8 बजे के लगभग मौजा वाडा वावडी में अपने दिगर साथी मुलजिम के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी हिम्मतसिंह एवं उसकी पत्नी राजकुंवर को रास्ते

जाते हुए रोककर सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद आले से मारपीट कर स्वैच्छा साधारण उपहतियां कारित की।

2– यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या हो?

मामले में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 9 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें से गवाह पीड–1 स्वयं मजरूब एवं परिवादी हिम्मतसिंह परीक्षित हुआ है जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान देने से दो साल पहले करीब 8 बजे उसकी पत्नी राजकुंवर उसकी गोद वाली बेटी से बात कर रही थी तभी उसकी मां रसाल कुंवर गाली गालैंच करने लगी व उसका छोटा भाई हीरसिंह ने उसकी पत्नी के नाक पर मारी। फिर उसकी मां ने भी उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, उसने बीच बचाव किया तो उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट प्रपी–1 दी, चाक एफआईआर प्रपी–2 है, पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना कराया जो प्रपी–3 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पीड–7 श्रीमती राजकुंवर स्वयं मजरूबा चश्मदीद साक्षी के रूप में परीक्षित हुई है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से तीन चार साल पहले शाम करीब 8 बजे वह अपने घर पर अपनी गोद की बेटी से बात कर रही थी तभी उसकी सास रसालकुंवर, देवर हीरसिंह व देवरानी ललिता कुंवर आये और उसके साथ मारपीट की, उसके देवर ने उसकी नाक पर मारी जिससे नाक पर चोट आई। उसके पति ने रिपोर्ट प्रपी–1 दी। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल भी करवाया था।

गवाह पीड–6 श्रीमती श्रृंगार बाई चश्मदीद साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की एवं पक्षद्रोही करार दी गई है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से दो साल पहले शाम करीब 8 बजे वह अपने बाडे में थी तो हिम्मतसिंह के बाडे में इनके आपस में भाई से लडाई हो रही थी, गाली गलौंच हो रही थी। उसके सामने मारपीट नहीं हुई। इसके अलावा उसे ओर कोई जानकारी नहीं है। सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में पुलिस बयान प्रपी–5 का ए से बी भाग लिखाने से इंकार किया है।

गवाह पीड–8 भंवरसिंह चश्मदीद साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से दो

साल पहले वह अपनी बच्ची के ससुराल था उसकी बेटी घर पर ही थी तभी उसकी सास रसाल कुंवर, देवर हीरसिंह, देवरानी तीनों ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की। मारपीट से उसकी बेटी के नाक व पैर पर चोट आई। हल्ला होने पर वह भी गया तो ये लोग आपस में लड रहे थे।

गवाह पीड–9 डॉ0 नरेन्द्र जोशी चिकित्साधिकारी है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 12.3.14 को सीएचसी खेमली पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था उस दिन थाना घासा के प्रतिवेदन पर आहता राजकुंवर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपी–6 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने हिम्मतसिंह के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपी–3 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सभी चोटें साधारण होकर कुंद आले से कारित थी।

गवाह पीड–4 किशोरनाथ अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.3.14 को थाना घासा पर एचसी के पद पर कार्यरत था उस दिन प्रार्थी हिम्मतसिंह की रिपोर्ट प्रपी–1 पर प्रकरण संख्या 29/14 दर्ज किया व एफआईआर प्रपी–2 चाक की जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान स्वयं के जिम्मे लिया और घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी–4 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूह का मेडिकल करवा आई/आर प्राप्त की, प्रार्थी व गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लिये। बाद अनुसंधान मुलजिम हीरसिंह, रसाल कुंवर व ललिता के विरूद्ध जुर्म धारा–341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की।

गवाह पीड–5 गोवर्धनसिंह चार्जशीट कता करता है जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.3.14 को थानाधिकारी के पदपर थाना घासा पर तैनात था उस दिन किशोरनाथ एचसी ने प्रकरण संख्या 29/14 अपराध धारा–341,323 भा0दं0सं0 में मुलजिमान हीरसिंह, रसालकुंवर, ललिता के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मान पत्रावली पेश की जिस पर उसने चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

गवाह पीड–2 जयसिंह एवं पीड–3 जालमसिंह मोतबीर नक्शा मौका के रूप में परीक्षित हुए है जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में नक्शा

मौका प्रपी–1 पर स्वयं की निशानी एवं हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उपरोक्त समस्त गवाहान के बयानों का यदि समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जाये तो गवाह पीड–1 परिवादी हिम्मतसिंह ने स्वयं द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 की पूर्ण रूप से पुष्टि अपने सशपथ बयानों में नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में कुछ महत्वपूर्ण एवं तात्विक विरोधाभास उभरकर आये है। परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी मां रसालकुंवर तथा ललिता कुंवर पत्नी हीरसिंह द्वारा उसकी पत्नी के साथ पत्थर व मुक्कों से मारपीट करने के संबंध में कथन किये है जबकि न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में परिवादी ने श्रीमती ललिता कुंवर द्वारा पत्थर व मुक्कों से मारपीट करने के संबंध में कोई कथन अंकित नहीं करवाये है। परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 में ऐसा कहीं अंकित नहीं किया है कि मुलजिमान द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई हो। जबकि न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की और पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल करवाया था जो प्रपी–3 है। उक्त चोट प्रतिवेदन प्रपी–3 का अवलोकन किया जाये तो चोट प्रतिवेदन पर इस गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 में भी इस गवाह ने अंकित नहीं किया है कि उसके साथ मारपीट की गई हो। यहां तक कि परिवादी की पत्नी गवाह पीड–7 श्रीमती राजकुंवर ने भी अपने सशपथ बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि बीच बचाव में उसके पति के साथ भी मुलजिमान ने मारपीट की हो। गवाह पीड–1 हिम्मतसिंह की जिरह का यदि अवलोकन किया जाये तो जिरह के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि घटना रात के 12–1 बजे की है और वह थाने में मुकदमा करने 12.30–1 बजे पहुंच गया था जबकि मुख्य परीक्षा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 में परिवादी ने यह कथन किया है कि झगडा शाम करीब 5 बजे हुआ था, जिरह के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि ''यह सही है कि यदि मैं मेरे पिता की जगह नौकरी लग जाता तो इतना विवाद नहीं होता।'' इसी प्रकार परिवादी की पत्नी श्रीमती राजकुंवर ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि हीरसिंह व उनके जगह जमीन व ससुर की जगह नौकरी करने की बात का विवाद है। परिवादी एवं उसकी

पत्नी श्रीमती राजकुंवर दोनों ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि परिवादी की मां रसाल कुंवर द्वारा भी उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाये गये है और उनके आपस में इस प्रकार के लडाई झगडे होते रहते है और झगडे की वजह रसाल कुंवर के पति की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर अनुकम्पा पर नौकरी मुलजिम हीरसिंह की लग जाने के संबंध में विवाद है। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 एवं न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में वक्त घटना उसकी पत्नी राजकुंवर द्वारा गोद वाली बेटी के साथ बात करना बताया है जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह उक्त गोद वाली बेटी को परीक्षित नहीं करवाया गया है और उसके परीक्षित नहीं करवाने का कोई ठोस एवं समुचित कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। गवाह पीड–6 श्रीमती श्रृंगार बाई भी प्रकरण में पक्षद्राही घोषित हुई है जिसने उसके सामने किसी प्रकार की मारपीट किये जाने से इंकार किया है। गवाह पीड–8 भंवरसिंह के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह गवाह मौके का चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन उसे इस प्रकार चश्मदीद गवाह बनाया गया है जो कि उसके बयानों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यदि घटना के समय या उसके बाद इस गवाह की उपस्थिति मौके पर होती तो स्वयं परिवादी या उसकी पत्नी द्वारा इस बात का कथन अवश्य किया जाता, लेकिन इस प्रकार के कोई कथन परिवादी ने न तो अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में न ही अपने बयानों में किये है। इस गवाह पीड–8 ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसकी बेटी के साथ सास रसाल कुंवर, देवर हीरसिंह एवं देवरानी तीनों ने ही मारपीट की थी और वह पडौस में ही बैठा हुआ था और हल्ला सुनकर वह मौके पर गया तब ये लोग लड रहे थे। जिरह के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि वह घटना के 10–12 दिन पहले गांव आया हुआ था जबकि स्वयं परिवादी हिम्मतसिंह ने अपनी जिरह के दौरान कथन किया है कि उसके ससुर व उसके साले गांव में नहीं रहते है कभी–2 मिलने आते है। 2–3 साल से ससुर उसके घर पर नहीं आये। परिवादी द्वारा जिरह के दौरान किये गये उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि यह गवाह वास्तव में न तो घटना के समय मौके पर उपस्थित था और न ही घटना के बाद। गवाह पीड–9 डॉ0 नरेन्द्र जोशी ने परिवादी हिम्मतसिंह एवं आहता राजकुंवर का चोट प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध कथन किये है जबकि स्वयं परिवादी ने

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 में ऐसा कहीं अंकित नहीं किया है कि मुलजिमान द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई हो। यहां तक कि स्वंय परिवादी की पत्नी राजकुंवर ने भी अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसके पति के साथ भी मुलजिमान द्वारा मारपीट की गई हो। निष्कर्ष रूप में प्रकरण में जो उपरोक्त समस्त विरोधाभास प्रकट हुए है वे महत्वपूर्ण एवं तात्विक प्रकृति के है जो कि गवाहान के बयानों की सत्यता एवं विश्वसनीयता में संदेह उत्पन्न करने वाले है और अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को प्रबल बनाते है कि परिवादी एवं अभियुक्त हीरसिंह के पिता की मृत्यु के बाद मुलजिम हीरसिंह की अनुकम्पा नौकरी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है और मात्र परेशान करने की नियत से परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना की रोशनी में अभियोजन पक्ष मुलजिमान के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 11.3.14 को 8 बजे के लगभग मौजा वाडा वावडी में अपने दिगर साथी मुलजिम के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी हिम्मतसिंह एवं उसकी पत्नी राजकुंवर को रास्ते जाते हुए रोककर सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद आले से मारपीट कर स्वैच्छा साधारण उपहतियां कारित की हो।

अतः अभियुक्तगण हीरसिंह, श्रीमती रसालकुंवर, श्रीमती ललिता कुंवर अपराध धारा 341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किये जाने के पात्र है।

:: <u>आदेश</u> ::

अभियुक्तगण 1– हीरसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत उम्र 32 साल, 2– श्रीमती रसालकुंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत उम्र 60 साल, 3– श्रीमती ललिता कुंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत उम्र 25 साल सभी निवासियान बाडा बावडी, थाना घासाको आरोपित अपराध धारा–341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अदालत में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(अभिलाषा शर्मा)

निर्णय आज दिनांक 22.2.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा शर्मा)